प्रेस नोट दि0-02.03.2026

प्रेस नोट दि0– 02.03.2026
थाना हथिगवां, जनपद– प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दिनांक 13.02.2026 को भैरव बाबा समसपुर हाईवे के पास हुई लूट की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त के पैर में लगी गोली (घायल)/गिरफ्तार-
थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत बरोंधा अंडरपास के पास पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, 02 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार-
घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ भेजा गया-

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा, 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद लूटी गई मोबाइल फोन एवं 01 अदद मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 दिलीप वर्मा, उ0नि0 अजय कुमार, उ0नि0 प्रिन्स तिवारी, हे0का0 संग्राम यादव, का0 विपिन सारस्वत तथा अन्य पुलिस बल द्वारा गश्त/चेकिंग की जा रही थी।

इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 13.02.2026 को भैरव बाबा समसपुर हाईवे के पास हुई लूट की घटना में शामिल अभियुक्त कल्याणपुर दुअर नदी पुल के पास मौजूद है। लूट के सम्बन्ध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 24/2026 धारा 309(6) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत था। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र तबरेज आलम निवासी ग्राम परेवा नारायणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 मोबाइल व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों अलहसन पुत्र अजमल हुसैन व इब्राहिम पुत्र रहमत उल्ला निवासीगण परेवा नारायणपुर थाना हथिगवां के साथ मिलकर उक्त लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त अलहसन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इब्राहिम की तलाश के दौरान बरोंधा अंडरपास के पास पहुंचने पर अभियुक्त इब्राहिम द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त इब्राहिम पुत्र रहमत उल्ला उम्र करीब 19 वर्ष निवासी परेवा नारायणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस तथा 02 अदद मोबाइल (जिसमें से 01 लूटी गई मोबाइल) बरामद हुए। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी कुंडा भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. अब्दुल रहमान पुत्र तबरेज आलम निवासी परेवा नारायणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. अलहसन पुत्र अजमल हुसैन निवासी परेवा नारायणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
03. इब्राहिम पुत्र रहमत उल्ला निवासी परेवा नारायणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ (घायल)।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह थाना हथिगवां मय हमराह उ0नि0 दिलीप वर्मा, उ0नि0 अजय कुमार, उ0नि0 प्रिन्स तिवारी, हे0का0 संग्राम यादव, का0 विपिन सारस्वत तथा अन्य पुलिस बल थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 02.03.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्ता को कुल 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार, साथ ही मौके पर लगभग 65 किलोग्राम लहन बरामद हुआ, जिसे विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए नष्ट कराया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में,

थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार मय हमराह उ0नि0 यूनुस खान, का0 विशाल मौर्या, म0का0 पूजा यादव, महिला आरक्षी रश्मि सोनकर मय चालक का0 हरेन्द्र सिंह द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरसिंहगढ के पास से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता शांति देवी पत्नी संतराम निवासी ग्राम नरसिंहगढ थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0- 57/26 धारा- 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना कुण्डा के उ0नि0 चन्दबली सिंह मय हमराह उ0नि0 निर्मल कुमार, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, महिला आरक्षी दीपांजली गुप्ता मय चालक का0 रामप्रताप द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत बेकवन बेक्री के सामने ग्राम रजनपुर बगिया के पास से कुल 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता कुषमा सोनकर पत्नी चांदबाबू निवासी ग्राम रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0-58/26 धारा- 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुका का विवरण-
01. शांति देवी पत्नी संतराम निवासी ग्राम नरसिंहगढ थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
02. कुषमा सोनकर पत्नी चांदबाबू निवासी ग्राम रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
कुल 15 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद व साथ ही मौके पर लगभग 65 किलोग्राम लहन बरामद हुआ, जिसे विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए नष्ट कराया गया ।

पुलिस टीम का विवरण-
01. उ0नि0 राजकुमार मय हमराह उ0नि0 यूनुस खान, का0 विशाल मौर्या, म0का0 पूजा यादव, महिला आरक्षी रश्मि सोनकर मय चालक का0 हरेन्द्र सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
02. उ0नि0 चन्दबली सिंह मय हमराह उ0नि0 निर्मल कुमार, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, महिला आरक्षी दीपांजली गुप्ता मय चालक का0 रामप्रताप थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 02.03.2026
जनपद कोहंडौर

थाना कोहड़ौर प्रकरण – हत्या की आशंका असत्य, सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु

थाना कोहड़ौर प्रकरण में हत्या की आशंका निराधार – विस्तृत विवेचना में सड़क दुर्घटना से मृत्यु होना प्रमाणित

प्रतापगढ़।
थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़ पर वादी ग्राम धन्नीपुर थाना कोहड़ौर, प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 36/2026 धारा 103(1) बीएनएस एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. अनुज उर्फ मक्खन विश्वकर्मा, 2. उमाशंकर उर्फ बाबा गिरी एवं 3. अखिलेश शुक्ला पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस द्वारा स्वयं ग्रहण कर निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित पद्धति से संपादित की गई।

विवेचना के दौरान नकल चिक, नकल रपट, एफआईआर लेखक के बयान, वादी व गवाहान के बयान, पंचायतनामा कार्यवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिमत, घटनास्थल निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल रिकार्ड (CDR), डिजिटल भुगतान विवरण, डायल-112 कॉल लॉग, पुलिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सहित समस्त उपलब्ध भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का क्रमबद्ध परीक्षण किया गया।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 25.02.2026 को मृतक वीरेन्द्र कुमार गौतम अपने परिचितों के साथ एक बारात कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। कार्यक्रम के दौरान मृतक एवं उसके साथियों द्वारा मदिरा/बीयर का सेवन किया गया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज एवं ऑनलाइन भुगतान अभिलेखों से हुई है। रात्रि लगभग 21:30 बजे मृतक अकेले मोटरसाइकिल से आकाश पाण्डेय के निवास पर मोबाइल फोन वापस करने गया। मोबाइल सुपुर्द करने के उपरांत मृतक अकेले ही मोटरसाइकिल से वापस लौटा।

सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ कि रात्रि लगभग 21:45 बजे लौली नहर पुल के समीप नहर मार्ग पर मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सड़क किनारे स्थित विद्युत पोल से टकरा गई। टक्कर अत्यंत तीव्र थी, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई तथा मृतक को गंभीर शारीरिक चोटें आईं।

घटना की सूचना समय लगभग 21:50 बजे डायल-112 पर प्राप्त हुई, जिस पर पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची एवं एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 26.02.2026 को रात्रि उसकी मृत्यु हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चिकित्सकीय अभिमत में मृत्यु का कारण गंभीर सिर की चोट एवं आघातजनित चोटें अंकित की गई हैं, जो सड़क दुर्घटना से संगत हैं। विवेचना के दौरान नामजद व्यक्तियों की घटनास्थल पर उपस्थिति अथवा किसी प्रकार की मारपीट/आपराधिक कृत्य में संलिप्तता का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मोबाइल सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से भी यह पुष्टि हुई कि घटना दुर्घटनावश हुई।

अतः समस्त उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। यह स्पष्ट रूप से एक सड़क दुर्घटना का प्रकरण पाया गया है, न कि हत्या अथवा किसी आपराधिक षड्यंत्र का।

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं वैज्ञानिक विवेचना कर वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट किया गया है

श्री दीपक भूकर
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 02.03.2026
थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत भव्या मैरिज हाल जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया है

प्रतापगढ़।
दिनांक 25.02.2026 को भाव्या मैरेज हाल, दिलीपपुर में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान डीजे बंद होने को लेकर लड़की पक्ष के राजू गुप्ता, कृष्णा गुप्ता एवं उनके 6-7 साथियों द्वारा डीजे संचालक से गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पर वादी व उसके साथियों पर लोहे की रॉड व मुक्कों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। इस संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3 (5)/115 (2)/109 (1)/352 बीएनएस बनाम 02 नामजद व 6-7 अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय हमराह का जगदीश द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3 (5)/115 (2)/109 (1)/352 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त दुर्गेश श्रीवास्तव पुत्र धीरेन्द्र श्रीवास्तव नि० ग्राम कोठियाही थाना दिलीपपुर प्रतापगढ हाल पता दिलीपपुर बाजार थाना दिलीपपुर जनपद को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत भव्या मैरिज हाल जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. दुर्गेश श्रीवास्तव पुत्र धीरेन्द्र श्रीवास्तव नि० ग्राम कोठियाही थाना दिलीपपुर प्रतापगढ हाल पता दिलीपपुर बाजार थाना दिलीपपुर जनपद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय हमराह का जगदीश थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।